

मध्य प्रदेश का 9वाँ टाइगर रज़िर्व

चर्चा में क्यों?

[राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण \(NTCA\)](#) ने शविपुरी ज़िले में [माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रज़िर्व](#) के रूप में मान्यता देने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, माधव मध्य प्रदेश में 9वें बाघ आरक्षण क्षेत्र के रूप में स्थापित होगा।

- समिति ने पार्क में एक नर और एक मादा बाघ को छोड़ने की अनुमति भी प्रदान की।

मुख्य बिंदु

- प्रस्तावित बाघ अभयारण्य क्षेत्र:**
 - इसका वसति 1,751 वर्ग किलोमीटर होगा, जिसमें 300 वर्ग किलोमीटर का मुख्य क्षेत्र शामिल होगा।
 - 75 वर्ग किलोमीटर और 1,276 वर्ग किलोमीटर का बफर ज़ोन होगा।
 - सफल प्रजनन कार्यक्रम के बाद, [माधव राष्ट्रीय उद्यान ने सितंबर 2024 में बाघ शावकों के जन्म के साथ बाघ संरक्षण में एक मील का पत्थर स्थापित किया।](#)
- बाघ पुनःप्रवेश का दूसरा चरण:**
 - मध्य प्रदेश वन विभाग पुनः बाघों को लाने के दूसरे चरण की तैयारी कर रहा है, जिसमें [बांधवगढ़, कान्हा या संजय-दुबरी राष्ट्रीय उद्यानों](#) से अतिरिक्त बाघों को लाना शामिल है।
- दीर्घकालिक वसति योजनाएँ:**
 - माधव टाइगर रज़िर्व [पाँच वर्षों के भीतर 1,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वसति करने की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है।](#)
 - 100 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले बाघ सफारी की भी योजना बनाई गई है, जिसमें 20 करोड़ रुपये का बुनियादी ढाँचा निवेश होगा, जिससे [पारस्थितिकी पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की आशा है।](#)
- संरक्षण और पारस्थितिकी पर्यटन लाभ:**
 - इस पहल का उद्देश्य माधव और [कुनो राष्ट्रीय उद्यानों](#) में वन्यजीव प्रबंधन को सुदृढ़ करना है।
 - इस परियोजना से [इको-पर्यटन](#) को बढ़ावा मिलने तथा स्थानीय समुदायों को लाभ मिलने तथा क्षेत्रीय विकास में योगदान मिलने की आशा है।
- मध्य प्रदेश की लंबित अधिसूचनाएँ:**
 - [रातापानी वन्यजीव अभयारण्य](#), जिसे वर्ष 2008 में बाघ अभयारण्य के रूप में [सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी](#), अभी भी आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार कर रहा है।
 - [रिपोर्टों से पता चलता है कि रातापानी के नकट खनन गतिविधियों के कारण राजनीतिक प्रतिकार के कारण इसके औपचारिक नामकरण में देरी हुई है।](#)

माधव राष्ट्रीय उद्यान

- परिचय:**
 - माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शविपुरी ज़िले में स्थित है।
 - यह ऊपरी [वृद्धि पहाड़ियों](#) का एक हिस्सा है।
 - यह पार्क मुगल बादशाहों और ग्वालियर के महाराजाओं का शिकारगाह था। इसे वर्ष 1959 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला।
- पारस्थितिकी तंत्र:**
 - इसमें [विविध पारस्थितिकी तंत्र](#) है जिसमें झीलें, शुष्क पर्णपाती और शुष्क कांटेदार वन शामिल हैं।
 - यह वन बाघों, तेंदुओं, नीलगाय, [चकिरा](#) (गज़ेला बनेट्टी) और [चौसधा](#) (टेट्रासेरस क्वाड्रिकोर्नस) तथा हरिणों ([चीतल](#), सांभर और [बारकगि डियर](#)) का पर्यावास है।
- बाघ गलियारा:**
 - यह पार्क देश के [32 प्रमुख बाघ गलियारों](#) में से एक के अंतर्गत आता है, जो बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचालित होते हैं। बाघ संरक्षण योजना [वन्यजीव \(संरक्षण\) अधिनियम, 1972](#) के तहत कार्यान्वित की जाती है।

